



समाहरणालय, देवघर।

समाहरणालय, देवघर। (विकास शाखा)

दूरभाष सं०:-06432-232680

फैक्स-06432-232967

ई-मेल:-dcdeoghar@gmail.com

अति-अल्पकालीन निविदा

बाबा बैधनाथ मंदिर, देवघर (झारखण्ड) के शिवगंगा के ईद-गिर्द Lightning protection system के लिए Lightning Arrestor (तड़ित रोधक) अधिष्ठापित करना है, जिसका विवरण नीचे अंकित है, के दर निर्धारण हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

Sl.No	Description
1	2
1	ESE Lightning Arrestor as per NFC 17-102, The System should be designed to be capable of protecting against direct lightning point as well as diverting it to Earth after tracing the lightning. Radius of protection 100 meter
2	GI Mast having 40 mm dia class b type GI, length 5 meter (3+2) for mounting of ESE Lightning Arrestor. The base plate of the mast is 300mmx300mmx5mm with nut bolt & washer.
3	Copper cable PVC insulated 70sq mm. The copper cable will be connected to earth pits.
4	Lightning Strike Counter 6 digit.
5	Maintenance free earthing system :- copper bonded rod 17mm dia 3 meter length with copper coating for safe passage of lighting discharge current to earth. With 25 kg chemical bag & PVC pit cover
6	Installation charges from Sr. No 1 to 5

इच्छुक निविदादाता/फर्म दिनांक- 19.10.2019 (02:00 बजे अप0) तक जिला विकास शाखा, देवघर में उपायुक्त, देवघर के नाम अपना निविदा डाल सकते हैं। विनिश्चित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले बीड पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा की शर्तें :-

1. निविदादाता को तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे के साथ जमा करना होगा।
2. तकनीकी बीड के साथ कम से कम तीन वर्षों का ITR, CGST, SGST, TIN, PAN का स्वअभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
3. काली सुची में न रहने का शपथ-पत्र तथा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का ISO Certificate का संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
4. वित्तीय बीड लिफाफा में सामग्री का विवरण, कम्पनी का नाम तथा उसका दर का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
5. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड लिफाफे को अलग लिफाफा में बंद कर जमा करना होगा।
6. निविदा दिनांक- 19.10.2019 को (05:00 बजे अप0) निविदादाता अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष क्रय समिति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में खोला जायेगा।
7. तकनीकी बीड के मुल्यांकन में योग्य पाये जाने के उपरांत वित्तीय बीड खोला जायेगा।
8. तकनीकी बीड में खामियाँ पाये जाने पर वित्तीय बीड नहीं खोला जायेगा।
9. न्यूनतम दर एवं अच्छी गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
10. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
11. विवाद होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र देवघर होगा।

(नोट :- निविदा का विवरण www.deoghar.nic.in पर देखा जा सकता है)

प्रभारी पदाधिकारी,

जिला विकास शाखा, देवघर

19/10/19

उप विकास आयुक्त,
देवघर।